


राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
कमरा नं० 7209, द्वितीय तल खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com,
फैक्स नं० 0141-2227281
website: www.tad.rajasthan.gov.in
कमांक एफ. 9() जनजाति आयोग का गठन/टीएडी/2011-12 जयपुर,दिनांक: 28/12/18

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.11(136)आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/89104 दिनांक 30.11.2011 के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक एफ. 9() जनजाति आयोग का गठन/टीएडी/2011-12 दिनांक 25.01.2016 के द्वारा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रकृति खराडी, उपाध्यक्ष पद पर श्री जितेन्द्र मीणा एवं सदस्य के पद पर श्री धर्मेन्द्र राठौड़ को मनोनीत किया गया था।

प्रशासनिक सुधार विभाग की अर्द्धशासकीय टीप् संख्या प.6(51) प्रसु/अनु-3/2018 दिनांक 21.12.2018 की अनुपालना में राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग में मनोनीत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य का मनोनयन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।


(शंकर लाल कुमावत)
आई.ए.एस.
संयुक्त शासन सचिव

कमांक एफ. 9() जनजाति आयोग का गठन/टीएडी/2011-12 जयपुर,दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर.....।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग.....।
13. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर।
16. श्रीमती प्रकृति खराडी/श्री जितेन्द्र मीणा/श्री धर्मेन्द्र राठौड़।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव